भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 414

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची

414. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसित 46 जातियों में से 37 को फरवरी 2014 में अधिसूचित किया गया था और यदि हां, तो इनमें से कितनी जातियां वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 के बाद जारी अन्य पिछडा वर्ग प्रमाणपत्रों को अमान्य करार दिए जाने के पश्चात संभावित रूप से सूची से हटाए जाने के लिए जांच के दायरे में हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने इन जातियों की समीक्षा शुरू की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उनके प्रमाण-पत्र अमान्य कर दिए गए हैं;

(ग) क्या एनसीबीसी उन्हें केंद्रीय सूची से हटाने की सिफारिश करेगा और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एनसीबीसी ने अपनी समीक्षा पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और क्या वास्तविक पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने और आरक्षण के लाभ का गलत प्रयोग रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अन्य पिछडे वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए 46 जातियों की सिफारिश की थी। तथापि, राष्ट्रीय पिछड़ा पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिनांक 09.11.2011 को पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अन्य पिछडे वर्गों की केन्द्रीय सूची में 37 (सैंतीस) जातियों को शामिल करने के लिए अपनी सलाह दी थी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह के आधार पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विभाग ने दिनांक 17.02.2014 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिनांक 03.01.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची से 35 (पैंतीस) जातियों को बाहर करने के लिए अपनी सलाह दी है।

*****